राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांकः– एफ 9(05)(12–ii)/सासुपे.नियम/सा.न्या.अ.वि/2013–14/13476 जयपुर,दिनांकः 2/1/19

आदेश

दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को आयोजित मंत्रीमण्डल राजस्थान सरकार की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से अनौपचारिक रूप से विचार–विमर्श कर सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन की राशि रूपये 500/– से रूपये 750/– एवं रूपये 750/– से रूपये 1000/– किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय की पालना में मंत्रीमण्डल सचिवालय, राजस्थान सरकार द्वारा आज्ञा संख्या डी/217/मं.मं./2018 जयपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 जारी की गई है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अध्याय 1 के नियम 2 का उप नियम (iv) को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :–

नियम–2 (iv) – पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है –

वृद्धावस्था पेंशन –

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेशंनर को	रु. 750 प्रति माह
2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेशंनर को	रु. 1000 प्रति माह

विधवा परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन –

1. 18 वर्ष या अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा पेंशनर को	रु. 500 प्रति माह
2. 60 वर्ष या अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा पेंशनर को	रु. 1000 प्रति माह
3. 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा पेंशनर को	रु. 1500 प्रति माह

उक्त संशोधन/प्रतिस्थान आदेश दिनांक 01.01.2019 से प्रभावी होगा। इससे तात्पर्य माह जनवरी 2019 की पेंशन भुगतान देय फरवरी 2019 को होगा।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त एवं शासन सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांकः– एफ 9(05)(12–ii)/सासुपे.नियम/सा.न्या.अ.वि/2013–14/13477-14107 जयपुर,, दिनांकः 2/1/19

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज. विभाग/राजस्व/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम अनुभाग)/(व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. राजस्थान, जयपुर ।
12. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
13. समस्त उपखण्ड अधिकारी/समस्त विकास अधिकारी।
14. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
15. आदेश पत्रावली।

(डॉ. होशियार सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (पेंशन)

Scanned by CamScanner